

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-246 / ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(56)-2010
लखनऊ:दिनांक: 19 फरवरी, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक 19 फरवरी, 2010 से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2757 / ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(31)-2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कग संख्या 3, 8, 13 और 18 की प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी।

आज्ञा से,
(दिश दीपक वर्मा)
प्रमुख राचिव।